प्रसारण मसौदा नियम, 2026: टीवी-रेडियो के लिए नियम-पुस्तिका

मीडिया-विनियमन और दूरसंचार कानून | समाचार संदर्भ: 12 जून 2026 (मसौदा; सुझाव 27 जुलाई 2026 तक) | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

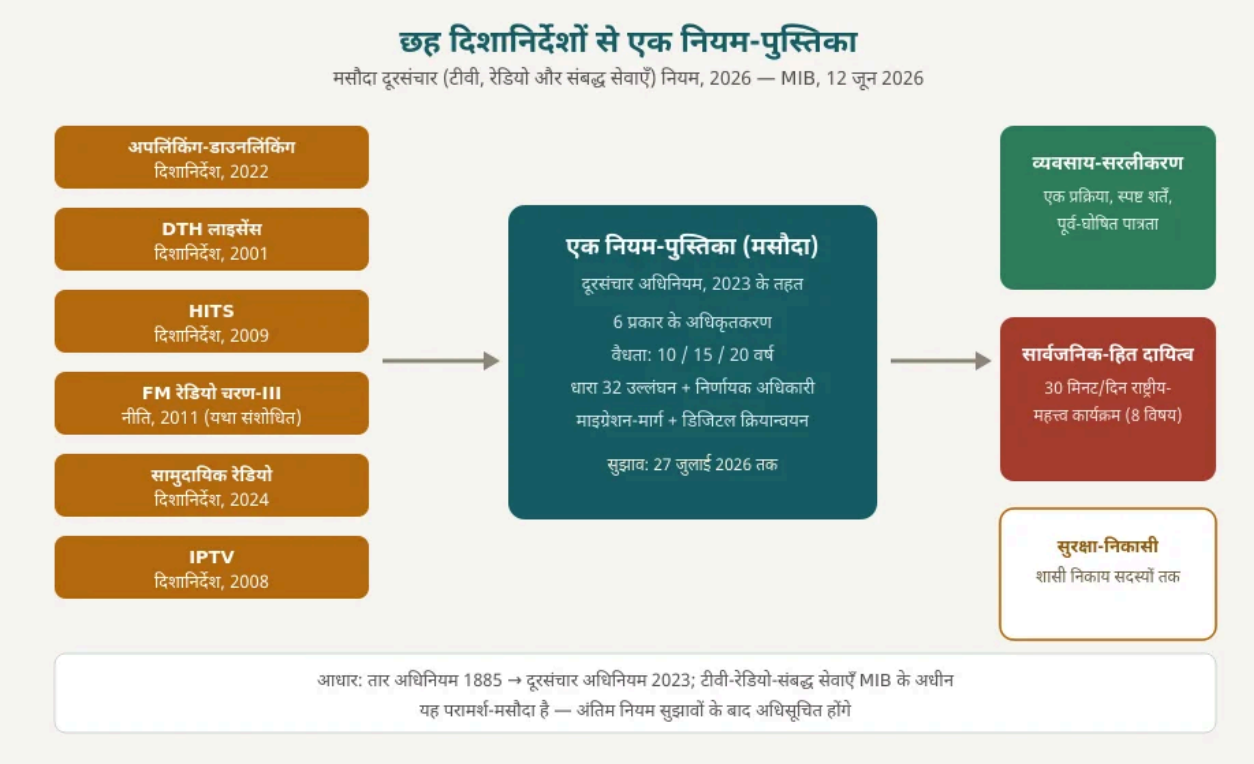
भारत में टीवी-रेडियो प्रसारण का नियमन दशकों से दिशानिर्देशों (guidelines) की परतों में बिखरा था — DTH के लिए 2001 की, IPTV के लिए 2008 की, HITS के लिए 2009 की, FM चरण-III के लिए 2011 की, अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग के लिए 2022 की और सामुदायिक रेडियो के लिए 2024 की अलग-अलग गाइडलाइन। ये सब भारतीय तार अधिनियम, 1885 जैसे 140 वर्ष पुराने कानून की छाँह में चलती थीं। 2023 में संसद ने दूरसंचार अधिनियम पारित किया, जिसने 1885 के कानून की जगह ली; मसौदा-पाठ इसे 'अत्यंत महत्त्वपूर्ण (pathbreaking) विधेयक' कहता है। यह अधिनियम सेवा-स्वरूप के अनुसार प्रशासन विभाजित करता है — टीवी, रेडियो और संबद्ध सेवाओं के प्रावधान सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) संचालित करता है। कानून बदलने के बाद स्वाभाविक प्रश्न था: पुरानी गाइडलाइन-परतों का क्या होगा? मसौदा नियम इसी का उत्तर हैं।

खबरों में क्यों

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 जून 2026 को 'दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026' का मसौदा जनता और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए जारी किया; सुझाव 27 जुलाई 2026 तक माँगे गए। मसौदा छह पुरानी दिशानिर्देश-पुस्तिकाओं को एक ही नियम-पुस्तिका में समाहित करता है — मंत्रालय के अनुसार उद्योग को अब 'एकीकृत और सरलीकृत नियम-पुस्तिका' मिलेगी। प्रमुख प्रावधान: छह प्रकार के अधिकृतकरण (authorisation) — टीवी चैनल, चैनल-वितरण सेवा, टेलीपोर्ट, टीवी समाचार एजेंसी, निजी रेडियो और सामुदायिक रेडियो; वैधता-अवधि — टीवी चैनल/टेलीपोर्ट/सामुदायिक रेडियो/समाचार एजेंसी 10 वर्ष, वितरण सेवा 20 वर्ष, निजी रेडियो 15 वर्ष; हर टीवी चैनल को प्रतिदिन कम-से-कम 30 मिनट (सुबह 6 से रात 11 बजे के बीच) 'राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक प्रासंगिकता' के कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे; निजी रेडियो का अधिकृतकरण नीलामी से और सामुदायिक रेडियो 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर होगा; और शर्तों का उल्लंघन अधिनियम की धारा 32 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसका निपटारा संयुक्त सचिव या उससे ऊँचे स्तर का निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) करेगा।

प्रमुख अवधारणा: 'अधिकृतकरण' (authorisation) — लाइसेंस से नियम-आधारित प्रवेश की ओर

पुराने ढाँचे में प्रसारण-सेवा चलाने के लिए सरकार से 'लाइसेंस' लेना पड़ता था — एक-एक इकाई से अलग अनुबंध जैसी व्यवस्था, जिसमें विवेकाधीनता का दायरा अधिक रहता है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 की भाषा 'अधिकृतकरण' (authorisation) है: नियम पहले से बने और सबके लिए एक-से होंगे, और शर्तें पूरी करने वाला आवेदक नियम के तहत प्रवेश पाएगा। मसौदा नियम इसी दर्शन को टीवी-रेडियो पर उतारते हैं — कंपनी/LLP संरचना, पिछले वित्त वर्ष की न्यूनतम नेट-वर्थ (अनुसूची 2), चैनल-नाम/लोगो का पंजीकृत ट्रेडमार्क या वैध NOC जैसी पात्रता-शर्तें खुलकर लिखी हैं। यही बदलाव 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की नियामकीय भाषा है: अनुमति विवेक से नहीं, पूर्व-घोषित नियम से।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

मसौदा और तिथि	**दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 — MIB, 12 जून 2026; सुझाव 27 जुलाई 2026 तक (अंडर सेक्रेटरी, BP&L)**
कानूनी आधार	दूरसंचार अधिनियम, 2023 (1885 के तार अधिनियम का स्थानापन्न); टीवी-रेडियो प्रावधान MIB के अधीन
समाहित दिशानिर्देश	अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग (2022), DTH (2001), HITS (2009), FM चरण-III (2011), सामुदायिक रेडियो (2024), IPTV (2008) — कुल 6
अधिकृतकरण के प्रकार	टीवी चैनल; चैनल-वितरण (DTH/HITS/IPTV); टेलीपोर्ट; टीवी समाचार एजेंसी; निजी रेडियो (नीलामी); सामुदायिक रेडियो (पहले आओ-पहले पाओ)
वैधता-अवधि	टीवी चैनल/टेलीपोर्ट/सामुदायिक रेडियो/समाचार एजेंसी = 10 वर्ष; वितरण सेवा = 20 वर्ष; निजी रेडियो = 15 वर्ष; नवीनीकरण सामान्यतः 10 वर्ष
राष्ट्रीय-महत्त्व कार्यक्रम	प्रतिदिन न्यूनतम 30 मिनट (0600-2300 IST) — शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, महिला-कल्याण, दुर्बल वर्ग, पर्यावरण-संस्कृति, राष्ट्रीय एकता (8 विषय); छूट का प्रावधान
प्रवर्तन	शर्त-उल्लंघन = अधिनियम की धारा 32 का उल्लंघन; संयुक्त सचिव या उससे ऊँचे स्तर का निर्णायक अधिकारी; दंड का श्रेणीकरण केंद्र तय करेगा
अन्य प्रावधान	चैनल 60 दिन बंद रहे तो सूचना अनिवार्य, 90 दिन पर अधिकृतकरण स्वतः समाप्त माना जाएगा; वितरण/समाचार-एजेंसी/सामुदायिक रेडियो अहस्तांतरणीय; पुराने लाइसेंसों का माइग्रेशन-मार्ग; डिजिटल क्रियान्वयन

एकीकरण का तंत्र — तीन परतों में

परत-विलय: छह अलग दस्तावेजों की शर्तें — पात्रता, शुल्क, सुरक्षा-निकासी, संचालन-नियम — अब एक ही नियम-पुस्तिका के अध्यायों में हैं। आवेदक को यह जानने के लिए छह दस्तावेज नहीं पढ़ने कि उस पर कौन-सा नियम लागू होता है; अध्याय 2 में सेवा-प्रकार और अध्याय 3 में प्रक्रिया है।

प्रवेश-शर्तों का मानकीकरण: कंपनी या LLP होना, न्यूनतम नेट-वर्थ, ट्रेडमार्क-स्पष्टता — शर्तें पूर्व-घोषित हैं। निजी रेडियो में नीलामी और सामुदायिक रेडियो में 'पहले आओ-पहले पाओ' — बाजार-मूल्य और सामुदायिक-पहुँच के दो अलग आवंटन-तर्क जान-बूझकर बरकरार रखे गए हैं।

उल्लंघन-निपटारे की संस्थागत कड़ी: अब तक शर्त-उल्लंघन का निपटारा दिशानिर्देशों के प्रशासनिक प्रावधानों से होता था। मसौदा इसे अधिनियम की धारा 32 से जोड़ता है — निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति, जाँच-प्रक्रिया और अपील का मार्ग कानूनी वैधता पाता है; दंड श्रेणीबद्ध होगा, अनियमित नहीं।

मसौदे का महत्त्व

नियामकीय एकीकरण की शृंखला: श्रम संहिताओं और दूरसंचार अधिनियम की तर्ज पर यह मसौदा उसी शासन-पैटर्न का नया अध्याय है — बिखरे नियमों का संहिताकरण। टीवी-रेडियो क्षेत्र के लिए यह 1885 के कानून से 2023 के कानून में वास्तविक प्रवेश है (विश्लेषणात्मक)।

व्यवसाय-सरलीकरण: एक प्रक्रिया, स्पष्ट वैधता-अवधि, माइग्रेशन-मार्ग और डिजिटल क्रियान्वयन — निवेश-निर्णयों की अनिश्चितता घटती है; मंत्रालय ने मसौदे को उद्योग के लिए 'सरलीकृत नियम-पुस्तिका' कहा है (मसौदा-पाठ)।

सार्वजनिक-हित दायित्व का कानूनी रूप: 30 मिनट का राष्ट्रीय-महत्त्व कार्यक्रम-दायित्व दिशानिर्देश-परंपरा से निकलकर नियम-पाठ में आता है — प्रसारण को केवल बाजार नहीं, सार्वजनिक मंच मानने की परंपरा की नियामकीय अभिव्यक्ति (विश्लेषणात्मक)।

चुनौतियाँ और प्रश्न-चिह्न

सामग्री-दायित्व बनाम संपादकीय स्वतंत्रता: 30 मिनट का अनिवार्य कोटा सार्वजनिक-हित में है, पर 'राष्ट्रीय महत्त्व' की सूची विस्तृत है; क्रियान्वयन में यह संपादकीय विवेक पर दबाव न बने — परामर्श में उठने योग्य प्रश्न है (विश्लेषणात्मक)।

सुरक्षा-निकासी की विस्तृतता: शासी निकाय के सदस्यों तक सुरक्षा-निकासी और उसकी अस्वीकृति के परिणाम मसौदे में हैं; प्रक्रिया की समय-सीमा स्पष्ट नहीं — निवेश-निर्णयों में विलंब का जोखिम (विश्लेषणात्मक, मसौदा-पाठ पर आधारित)।

मसौदा-स्थिति: यह अंतिम नियम नहीं है — 27 जुलाई 2026 तक के सुझावों के बाद प्रावधान बदल सकते हैं। विश्लेषण मसौदा-पाठ तक ही सीमित रखना होगा (मसौदा-पाठ)।

आगे की राह

तीन चीजें तय करेंगी कि एकीकरण वास्तविक सरलीकरण बनेगा या नहीं: (i) अंतिम नियमों में सुरक्षा-निकासी और अधिकृतकरण-निपटारे की समय-सीमा स्पष्ट हो; (ii) 30 मिनट के कार्यक्रम-दायित्व की गणना-विधि और छूट-प्रक्रिया पारदर्शी हो, ताकि छोटे चैनलों पर अनुपालना-भार असमान न पड़े; (iii) पुराने लाइसेंसों के माइग्रेशन की घोषित समय-सीमा, ताकि विरासत-अनिश्चितता न रहे। परामर्श-प्रक्रिया में उद्योग, सामुदायिक रेडियो क्षेत्र और दर्शक-समूहों के सुझाव इन्हीं बिंदुओं की कसौटी होंगे।

अवधारणा में अंतर

तीन अंतर स्पष्ट रखें: (1) तार अधिनियम 1885 की लाइसेंस-व्यवस्था बनाम दूरसंचार अधिनियम 2023 की अधिकृतकरण-व्यवस्था — मसौदा दूसरी पर खड़ा है; (2) दिशानिर्देश (guidelines) बनाम नियम (rules) — दिशानिर्देश प्रशासनिक प्रथाएँ हैं, नियम अधिनियम के अधीन वैधानिक दस्तावेज; (3) टीवी-रेडियो बनाम OTT — मसौदे का दायरा अध्याय 2 की छह सेवाओं तक है; इंटरनेट-आधारित क्यूरेटेड सामग्री (OTT) इन छह अधिकृतकरण-श्रेणियों में नहीं आती (मसौदा-पाठ, नियम 3)।

मेंस दृष्टि

GS-II: मीडिया का नियमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (19(1)(a) बनाम 19(2)), नियामकीय सुधार; GS-III: दूरसंचार-नीति और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। उत्तर में मसौदा-तथ्य (12 जून 2026; 6 दिशानिर्देशों का समाहरण; धारा 32; 30-मिनट दायित्व — attributed) रखें और यह न भूलें कि यह मसौदा है, अधिसूचित नियम नहीं।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'नियामकीय एकीकरण व्यवसाय-सरलीकरण का साधन है, पर प्रसारण के सार्वजनिक-हित चरित्र को सुरक्षित रखना उसी का अंतिम परीक्षण है।' प्रसारण मसौदा नियम, 2026 के आलोक में टिप्पणी कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 1885 से 2023 तक की यात्रा।

मुख्य भाग में: अवधारणा: अधिकृतकरण बनाम लाइसेंस; तर्क: एकीकरण-लाभ, मानकीकृत प्रवेश, सार्वजनिक-हित दायित्व; सीमाएँ: सामग्री-दायित्व की सीमा, सुरक्षा-निकासी, मसौदा-स्थिति; मार्ग: समय-सीमा, पारदर्शी छूट, माइग्रेशन।

निष्कर्ष में: एकीकृत नियमों के लाभ को संपादकीय स्वतंत्रता, छोटे प्रसारकों की अनुपालन-क्षमता और पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया से जोड़ें; समय-सीमा और छूट की स्पष्टता सुझाते हुए मसौदे के प्रस्तावों को अधिसूचित अंतिम नियम न लिखें।

स्रोत

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय — मसौदा नियम-पाठ (12 जून 2026)
- Hindustan Times — टीवी-रेडियो-DTH के लिए एकल नियम-पुस्तिका (पूरक, प्रेस-आधारित)

सभी प्रावधान mib.gov.in के मसौदा-पाठ (12 जून 2026) से शब्दशः सत्यापित; यह परामर्श-मसौदा है, अंतिम नियम नहीं। प्रेस-रिपोर्ट केवल पूरक संदर्भ।

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन बाल सुरक्षा: विज्ञापन की कमाई के साथ जवाबदेही | खाद्य लेबल और भ्रामक दावे: उपभोक्ता को जानकारी से सही चुनाव तक।

याद रखें: मसौदे का सार: छह दिशानिर्देश-परतों की जगह एक नियम-पुस्तिका, लाइसेंस की जगह अधिकृतकरण, और व्यवसाय-सरलीकरण के साथ 30 मिनट का सार्वजनिक-हित दायित्व। अंतिम रूप 27 जुलाई 2026 के परामर्श के बाद तय होगा।